कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम (छ.ग.)

कमांक/3054 /मान्यता नवीनीकरण/2024–25 कबीरधाम, दिनांक 12/06/2024
07

प्रति,

प्राचार्य,
सनराईस पब्लिक स्कूल बिसेसरा पंडरिया
विकास खण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.)

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कि धारा 18 के प्रयोजन के लिए निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम के 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

———000———

आपके तारीख ..... के आवेदन और इस संबंध मे विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मै सनराईस पब्लिक स्कूल इ.मी. बिसेसरा पंडरिया विकास खण्ड पंडरिया को तारीख 15.06.2024 से तारीख 30.04.2026 तक दो वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए अनंतिम मान्यता नवीनीकरण प्रदान करने कि संसूचना देता हुँ ।

उपरोक्त मंजुरी निम्नालिखित शर्तो के पूर्ण किये जाने के अधीन है :–

1. मान्यता के मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमे किसी भी रूप मे कक्षा 8वी के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 मे (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा मे बालको कि संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहिन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और इन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पुरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा. 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विघालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरंक्षक को किसी स्क्रेनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विघालय किसी बालक को उसकी उम्र का सबुत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबंधों का पालन करेगा। विघालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(एक) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी भी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा ।

(दो) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी हाने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी ।

(चार) प्राथमिक शिक्षा, पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण– पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(पांच) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(छैः) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताऐं नही है ,पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें ।

(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ।

(आठ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेगें ।

.....2.....